जल संसाधन विभाग
झारखण्ड सरकार

श्री बी०सी०निगम, विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची की अध्यक्षता में मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर परिक्षेत्राधीन योजनाओं की दिनांक–27.09.2013 को नेपाल हाउस, राँची में सम्पन्न समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची परिशिष्ट–I पर संलग्न है।

बैठक में मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर सहित उनके परिक्षेत्र के अधीक्षण अभियंतागण, विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी एवं पुनर्वास पदाधिकारी ने भाग लिया।

मुख्य अभियंता, देवघर परिक्षेत्राधीन चालू योजनाओं की समीक्षा की गई।

विन्दुवार कार्यो की समीक्षा की विवरणी निम्नलिखित हैं :–

(क) योजना का नाम :- अजय बराज योजना

- प्रशासनिक स्वीकृति :–₹ **35184.5196** लाख (पत्रांक–**37/06-07** प्र०स्वी, दिनांक–**22.03.2007**)
- वित्तीय वर्ष **2012-13** में मार्च, **2013** तक योजना पर कुल व्यय :– ₹**34004.99** लाख (96.65%)
- प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध अवशेष राशि :– ₹ **1179.5296**लाख
- वर्ष **2013-14** का स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम :– ₹ **3730.40** लाख
- वर्ष **2013-14** का अद्यतन आबंटन :– ₹ 567. 35 लाख
- अगस्त, **2013** तक व्यय :– ₹ **369.081** लाख
- सिंचाई क्षमता :– **40510** हेक्टेयर
- वर्तमान में की जा रही सिंचाई :– **1475** हेक्टेयर

कंडिका	विगत बैठक में निदेश के विन्दु	अनुपालन की स्थिति	निदेश
(i)	वर्ष 2013–14 के खरीफ में 20,000 हे० सिंचाई सुविधा का लक्ष्य रखा गया है।	2631 चेन तक पानी गया। टूटान के कारण पानी बन्द कर दिया गया है। 1315 चेन तक पटवन हो रहा है। 2418 चेन पर सी०डी० टूटान हो गया है। 1773 चेन पर दिनांक–13.08.2013 को सी०डी० टूट गया है।	निदेश दिया गया कि मुख्य अभियंता, देवघर आवश्यक कार्रवाई कर प्रतिवेदन विभाग को दे।
	• कुल 26 एकरारनामे बन्द करने के संबंध में।	➢ सिंचाई प्रमण्डल, कुण्डहित का कुल 14 एकरारनामा बन्द कर लिया गया है। शेष 7 प्रक्रियाधीन है। दो से संबंधित कार्य प्रगति में है।	• बन्द किये गये निविदाओं की पुर्ननिविदा की जाय।

		➢ **सिंचाई प्रमण्डल, जामताड़ा :–** दो एकरारनामों में Litigationके कारण बन्द होने में कठिनाई हो रही है। ➢ सिंचाई प्रमण्डल, नाला :– एक एकरारनामा बन्द करने हेतु पेपर में प्रकाशित किया गया है। ➢ सिंचाई प्रमण्डल, कुलडंगाल:– शून्य ➢ सिंचाई प्रमण्डल सं०–2,जामताड़ा:– शून्य	
(ii)	अजय बराज योजना का कार्य मार्च, 2015 तक पूर्ण किया जा सकता है। • विभाग द्वारा निदेश दिया गया कि इस योजना के कार्यो को मार्च, 2014 तक पूरा किया जाय। • साथ ही, विभाग द्वारा निदेश दिया गया कि अधीक्षण अभियंता, जामताड़ा एवं अधीक्षण अभियंता, मधुपूर मार्च, 2014 तक योजना पूर्ण करने के उद्देश्य से स्थानान्तरित नहीं किये जायेगें।	–	• मुख्य अभियंता, देवघर को निदेश दिया गया कि मुख्य नहर का शुरू से अंत तक की अद्यतन स्थिति की मोनिटरिंग Design & Flying squad के साथ एक सप्ताह के अन्दर कर प्रतिवेदन विभाग को दे। साथ ही, जो Abutments collapse कर गये है, उससे संबंधित प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर विभाग को दें। **(कार्रवाई – मुख्य अभियंता, देवघर)**
(iii)	अजय बराज योजना के गेटो से संबंधित कार्यो को ससमय पूरा नहीं किया गया है। मुख्य अभियंता, (यॉंत्रिक) को विभाग द्वारा निदेश दिया गया कि वे स्वयं गेटो का निरीक्षण कर दिनांक–20.07.2013 तक सभी गेटो को Opreational	➢ चेन सं०–1701 पर Escape Gate – नहीं लगा। Tender हो गया है। ➢ चेन सं०–3572 पर Escape Gate – नहीं लगा। Tender हो गया है। ➢ Repair – Amba, Afjalpur - नहीं हुआ है।	• विभाग द्वारा मुख्य अभियंता (यांत्रिक), रॉंची को निदेष दिया गया कि मुख्य नहर के H.R.S एवं C.R.S का पूर्ण अध्ययन करे एवं सभी Mechanical

	बनायेगें। साथ ही, यॉंत्रिक से संबंधित सभी संवेदको को बुला लिया जाय एवं समस्याओं का समाधान कर गेटो को Opreational बनाया जाय।		Structures (Gates) की अद्यतन स्थिति से विभाग को अवगत करायें। **(कार्रवाई – मुख्य अभियंता, यॉंत्रिक, रॉंची)**
(iv)	23 वितरणियों का Revised I.Rबनाने के संबंध में। • निदेश दिया गया कि जुलाई, 2013 तक पुराने एकरारनामों को बन्द करना है एवं Revised I.Rका कार्य पूरा करना है।	➢ मात्र 3 I.R.s को Revise किया जाना है। (कुण्डहित प्रमण्डल) ➢ शेष को Revise करने की आवष्यकता नहीं है।	• मुख्य अभियंता, देवघर को Revised I.R.का कार्य एक सप्ताह में पूरा करने का निदेश दिया गया। • साथ ही, मुख्य अभियंता को निदेश दिया गया कि – 1) बैठक से संबंधित A.T.R. बैठक के 20 दिनों के अंदर दिया जाय। 2) निविदा के निष्पादन की तिथियों को कम किया जाय। 3) अजय बराज योजना का Forest clearance से संबंधित mutation 15 दिनों में करा लिया जाय। **(कार्रवाई – मुख्य अभियंता, देवघर)**

(ख) योजना का नाम :- पुनासी जलाशय योजना

- प्रशासनिक स्वीकृति :–₹ 18582.00लाख (पत्रांक–1151, दिनांक–17.10.98)
- वित्तीय वर्ष 2012-13 में मार्च, 2013 तक योजना पर कुल व्यय :– ₹13451.5558 लाख (72.40%)
- प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध अवशेष राशि :– ₹ 5130.4442 लाख
- वर्ष 2013–14 का स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम :– ₹ 2054.42 लाख
- वर्ष 2013-14 का अद्यतन आबंटन :– ₹ 588.59लाख
- अगस्त, 2013 तक का व्यय :– ₹ 291.591लाख
- सिंचाई क्षमता :– 24291.00 हेक्टेयर

कंडिका	विगत बैठक में निदेश के विन्दु	अनुपालन की स्थिति	निदेश
(i)	• पुनासी मुख्य के चेन सं०–2000 से 2365 तक कार्य क्षेत्र किसी प्रमण्डल को देने के संबंध में मुख्य अभियंता ने बताया कि उक्त कार्य क्षेत्र पूर्व में सिंचाई प्रमण्डल, देवघर के अन्तर्गत था।	मुख्य अभियंता, देवघर के पत्रांक–1107(T) दिनांक–10.07.1987 के द्वारा कार्यक्षेत्र निर्धारित है, जिसके अनुसार पुनासी मुख्य नहर का कार्य क्षेत्र निम्नवत् है :– (क) सिंचाई प्रमण्डल, जसीडीह – पुनासी मुख्य नहर के चेन सं०–0.00 से 486.00 तक तथा चेन सं०–1317.00 से 2000.00 तक वितरणी प्रणाली के साथ। (ख) सिंचाई प्रण्मडल, देवघर – चेन 486.00 से 1370.00 तक तथा चेन 2000 से 2600 तक वितरणी प्रणाली के साथ।	मुख्य अभियंता को निदेश दिया गया है कि पुनासी जलाशय योजना के विभिन्न प्रमण्डलों के कार्यों का Jurisdiction निर्धारित कर प्रतिवेदन विभाग को दे। **(कार्रवाई – मुख्य अभियंता, देवघर)**
	• भू–अर्जन की समस्या के बारे में निदेश दिया गया कि There should not be lack of co-ordination between the C.E., Deoghar & Speical Land Acquistion Officer, Deoghar.	पुनासी जलाशय योजना के भू–अर्जन की स्थिति निम्नवत् है :– (क) कुल आवष्यक रकवा – 3615.74 हे० (ख) अधियाचित रकवा – 2690.19 हे० (ग) अर्जित रकवा – 2547.20 हे०	निदेश दिया गया कि पुनासी मुख्य नहर के शेष भू–अर्जन के कार्यों को एक माह में पूर्ण कर लिया जाय। **(कार्रवाई –विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर)**

(ii)	• सिंचाई प्रमण्डल, देवघर में पुराने 123 एकरारनामें रद्द करने है, जिनमें से 55 एकरारनामें रद्द किये जा चुके है तथा शेष 68 एकरारनामों को रद्द किये जाने की कार्रवाई की जा रही है। • सिंचाई प्रमण्डल, जसीडीह में 55 एकरारनामें रद्द करने थे, सभी एकरारनामें रद्द कर दिये गये। आवश्यक कार्रवाई का निदेश दिया गया है।	सिंचाई प्रमण्डल, देवघर के अन्तर्गत पुराने 123 एकरारनामों में से 111 एकरारनामें बंद किये जा चुके है। शेष 12 एकरारनामों को बंद करने की कार्रवाई चल रही है। इस माह के अंत तक सभी पुराने एकरारनामें बंद कर दिये जाएगे।	आवश्यक कार्रवाई का निदेश दिया गया! **(कार्रवाई –मुख्य अभियंता, देवघर)**
(iii)	• झारखण्ड राज्य द्वारा लागू पुर्नवास नीति, '2012 के तहत 606 विस्थापितों में से 365 को भूखण्ड एवं गृह अनुदान का भुगतान दिया चुका है शेष पर कार्रवाई की जा रही है। निदेश दिया गया कि Part of proceeding add करना है तथा अगले माह का Target तय करना है। • मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर के साथ दिनांक–29.05. 2013 को हुई बैठक में कहा गया है कि दोनों राज्यों के बीच MoU होने के उपरान्त आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। सरकार के स्तर से दोनों राज्यों द्वारा MoU तैयार कर उसपर सहमत होना है। निदेश दिया गया कि प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची द्वारा प्रधान सचिव, जल संसाधन	➢ पुर्नवास पदाधिकारी, देवघर का प्रतिवेदन संलग्न है। मुख्य अभियंता, देवघर द्वारा बताया गया कि दोनों राज्यों के मुख्य अभियंताओं की दिनांक–29.05.2013 को हुई बैठक की संयुक्त हस्ताक्षर की कार्रवाई विभाग में समर्पित कर दी गयी है।	पुर्नवास पदाधिकारी, देवघर को प्रत्येक 15 दिनों में प्रगति प्रतिवेदन भेजने एवं पुर्नवास के कार्यों को दो माह में पूरा करने का लक्ष्य रखने का निदेश दिया गया। **(कार्रवाई– पुर्नवास पदाधिकारी, देवघर)**

	विभाग, बिहार को MoU बैठक हेतु पत्र भेजा जाय।		
(iv)	• The Proposed Forest Land demarcation and CAT (Catchment Area Treatment) के संबंध में।	➢ निदेशानुसार कार्रवाई प्रक्रिया में है। ➢ संबंधित अधीक्षण अभियंता ने बताया कि Forest Land में सम्प्रति कोई कार्य नहीं कराया जा रहा है।	आवश्यक कार्रवाई का निदेश दिया गया। साथ ही, मुख्य अभियंता, देवघर को निदेश दिया गया कि इस योजना के Revised Estimate की प्रषासनिक स्वीकृति यथाशीघ्र करा ली जाय। **(कार्रवाई –मुख्य अभियंता, देवघर)**

<u>(ग) योजना का नाम :- गुमानी बराज योजना</u>

- **प्रशासनिक स्वीकृति :–₹16258.67लाख (पत्रांक–36, दिनांक–22.03.07)**
- वित्तीय वर्ष 2012-13 में मार्च, 2013 तक योजना पर कुल व्यय :–**₹15924.1325लाख** (97.94%)
- **प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध अवशेष राशि :– ₹334.5375 लाख**
- **वर्ष 2013-14 का स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम :– ₹ 1279.95 लाख**
- **वर्ष 2013-14 का अद्यतन आबंटन :– ₹ 228.13लाख**
- **अगस्त, 2013 तक का व्यय :– ₹ 91.42लाख**
- **सिंचाई क्षमता :– 16194 हेक्टेयर**

कंडिका	विगत बैठक में निदेश के विन्दु	अनुपालन की स्थिति	निदेश
(i)	Afflux बाँध के सर्वेक्षण हेतु दिया गया आवश्यक निदेश।	इस संबंध में दिनांक–05.08.2013 को कार्यपालक अभियंता द्वारा उपायुक्त, साहेबगंज, एस०डी०ओ० साहेबगंज एवं बी०डी०ओ०, बरहेट से सम्पर्क किया गया। दिनांक–13.08.2013, 14.08.2013 एवं 16.08.2013 को गेट गिराकर उसका परिचालन करवाया गया। परन्तु, ग्रामीणों का विरोध जारी रहा। उपायुक्त, साहेबगंज द्वारा पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज से सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति हेतु अनुरोध किया गया है।	विभागीय पत्रांक–1324, दिनांक–20.09.13 के प्रसंग में पुलिस महानिरीक्षक (अभियान) झारखण्ड, राँची का ज्ञापांक–1767/अभि०, दिनांक–25.09.2013 द्वारा आवश्यक सुरक्षा बल की प्रतिनियुक्ति हेतु पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज को आवश्यक निदेश दिया गया है। निदेश दिया गया कि Force जाने पर गेट गिराकर 49 मी० तक पानी जमा किया जाय। **(कार्रवाई –मुख्य अभियंता, देवघर)** Afflux बाँध के संबंध में E.o.I. हेतु अधीक्षण अभियंता, साहेबगंज को स्वयं परामर्शी रखकर कार्रवाई करने निदशे दिया गया। **(कार्रवाई –अधीक्षण अभियंता, साहेबगंज)**
	• Gantry Crane का नक्शा CWC से approved है। CWC द्वारा इसका Parking Spaceबनाने का निदेश दिया गया है।	Gantry Craneका डिजाईन CWC द्वारा अनुमोदित नही किया गया है क्योंकि Gantry Craneके साथ Parking & Maintenance bay mandatory है।	Gantry Craneके संबंध में अधीक्षण अभियंता, साहेबगंज को निदेश दिया गया कि CWC से स्वयं सम्पर्क कर समस्या का समाधान करे एवं कृत कार्रवाई से विभाग को अवगत करावे। **(कार्रवाई –अधीक्षण अभियंता, साहेबगंज)**

	• सिंचाई प्रमण्डल सं०–1, बरहेट एवं गंगा पम्प नहर प्रमण्डल द्वारा की गयी गाड़ी की माँग के संबंध में योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल सं०–3 को दिये गये निदेष के संबंध में।	कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल सं०–1, बरहेट द्वारा निलामी के पष्चात राषि कोषागार में जमा करने का साक्ष्य विभाग में समर्पित। गंगा पम्प नहर प्रमण्डल द्वारा गाड़ी की निलामी का प्रयास किया जा रहा है। परन्तु, निलामी नहीं हो पा रहा है।	मुख्य अभियंता को निदेश दिया गया कि गुमानी नहर से रब्बी की खेती हेतु पानी देने के लिए स्वयं जाँच कर लें। **(कार्रवाई–मुख्य अभियंता, देवघर)**

(घ) योजना का नाम :- बटेश्वरस्थान गंगा पम्प नहर योजना

- **प्रशासनिक स्वीकृति :–₹10031.89लाख (पत्रांक–32/10-11,प्र०स्वी, दिनांक–15.01.11)**
- **वित्तीय वर्ष 2012-13 में मार्च '13 तक योजना पर व्यय :– ₹1523.08 लाख (15.18%)**
- **प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध अवशेष राशि :– ₹8508.81 लाख**
- **वर्ष 2013-14 का स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम :– ₹2421.50 लाख**
- **अगस्त, 2013 तक का व्यय :– ₹ 497.40लाख**
- **सिंचाई क्षमता :– 4887 हेक्टेयर**

कंडिका	विगत बैठक में निदेश के विन्दु	अनुपालन की स्थिति	निदेश
(i)	• संवेदक द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर समीक्षा की गई है एवं एक कमिटी बनाकर उसका एक सप्ताह के अन्दर रिपोर्ट देने का निदेश दिया गया है।	➢ मुख्य अभियंता, देवघर का पत्रांक–1860, दिनांक–27.08.2013 एवं पत्रांक–1866, दिनांक–27.08. 2013 द्वारा Non Schedule items के दरों की स्वीकृति प्रदान की गयी हैं।	विभाग द्वारा निदेश दिया गया है कि झारखण्ड लोक निर्माण विभाग, संहिता 2012 की कंडिका–103 में तय की गई प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए उन मदों की दरों का अनुमोदन करा लेना सुनिश्चित करें। **(कार्रवाई – मुख्य अभियंता, देवघर)**

	• चेन सं०–48.57 पर बड़े पेड़ो के होने की समस्या का हल कर लिया गया है।	➢ विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, दुमका द्वारा भू–अर्जन की समस्याओं के निष्पादन की कार्रवाई का निदेश दिया गया है।	विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, दुमका को भू–अर्जन की समस्याओं के निष्पादन की कार्रवाई का निदेश दिया गया। **(विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, दुमका)**

(ङ) पुनर्स्थापन/ERM कार्य

कंडिका	विगत बैठक में निदेश के विन्दु	अनुपालन की स्थिति	निदेश
(i)	**त्रिवेणी वीयर योजना का पुनर्स्थापन कार्य** • कार्य के एकरारनामा को नियमानुसार Close करने का निदेश। • CR संरचना पूर्ण कर लिया जाय एवं एक सप्ताह में चेन सं० 97 पर अमलो वितरणी का भी नक्शा उपलब्ध कराया जाय।	➢ अनुपालन नहीं हो सका है। ➢ मुख्य अभियंता, देवघर द्वारा बताया गया कि अमलो वितरणी के चेन सं०–97 पर C/R संरचना के निर्माण की आवश्यकता नहीं है।	निदेश दिया गया कि नियमानुसार दिनांक–15.10.13 तक एकरारनामा को बन्द कर विभाग को सूचित किया जाय। **(कार्रवाई – मुख्य अभियंता, देवघर)**
(ii)	**त्रिवेणी लाईनिंग का कार्य** • Data collection हेतु नहर के D/S से surveyकिया जाय। • इस कार्य हेतु एक team बनाया जाय जिसमें नवनियुक्त कनीय अभियंतागण एवं Senior Engineers हों। • हरेक distributaries का	➢ आंशिक रूप से अनुपालित ➢ मुख्य अभियंता, देवघर बताया गया कि इस योजना अन्तर्गत वितरणियों (नोखिल तक) का सर्वे किया जा रहा है। ➢ मुख्य अभियंता, देवघर द्वारा बताया गया कि रूपांकण शाखा द्वारा लाईनिग कार्य हेतु रूपांकण किया जा रहा है।	समीक्षोपरान्त निदेशित किया गया कि पूर्व में किसी भी नहर के Side Slope में कराये गये लाईनिंग कार्य की तकनीकी समीक्षा की जाय। लाईनिंग का प्रस्ताव दिनांक–31.10.13 तक विभाग को उपलब्ध कराया जाय। **(कार्रवाई – मुख्य अभियंता, देवघर)**

	command निर्धारित किया जाय। • कुछ distributaries का command आबादी के बस जाने से घट गया है एवं कृषि योग्य भूमि कुछ बढ़ गई है। इसकी क्षमता की गणना कर ली जाय। • Lining के प्रकार–तल छोड़कर मात्र Side Slope में Boulder Liningपर विचार किया जाय। • इस योजना के वर्त्तमान में कार्यरत संवेदक के Tender को बन्द करने का निदेश दिया गया।		
(iii)	**<u>सोनेपुर वीयर योजना :–</u>** • सोनेपुर वीयर योजना का डी०पी०आर० में वर्णित त्रुटियों के निराकरण के संबंध में।	➢ सोनेपुर वीयर योजना का डी०पी०आर० रूपांकण Vetting कराकर उपलब्ध करा दिया गया है।	–
(iv)	**<u>सुन्दर जलाशय योजना :–</u>** • पूर्व में प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध कार्य पूरा नहीं किया गया है। एकरारनामा में प्रावधानित नियमों के तहत कार्रवाई कर बचे हुए कार्यो को पुनः निविदा करने हेतु निर्देशित किया गया है।	➢ निविदा प्रकाशित की गई है तथा कार्य को एक वर्ष में एकरारनामा के तहत पूर्ण कराने का निदेश दिया गया है। ➢ मुख्य अभियंता, देवघर द्वारा बताया गया कि दूसरी बार एकल निविदा प्राप्त हुआ है। निष्पादन की प्रक्रिया में ।	निदेश दिया गया कि दिनांक–07.10.13 तक निविदा निस्तार हेतु अभिलेख विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(च) औद्योगिक ईकाईयों से संबंधित प्रतिवेदन

विगत बैठक में निदेश के विन्दु	अनुपालन की स्थिति	निदेश
(i) **M/S CESC Pvt. Ltd. MAYRAKSHI BASIN Plant Capacity 1000MW CPP Allocation 40.05 MCM**	एकरारनामा हेतु निदेषित किया गया है।	आवश्यक कार्यवाही का निदेश दिया गया।
(ii) **M/S Jindal Steel & Power Limited Allocation on 1.2 MCM Gumani BAsin & Koa Bhena**	विभाग से सहमति पत्र प्राप्त नहीं है।	
(iii) **M/S Jindal Steel & Power Ltd. Plant Capacity 1000MW CPP Allocation on 36 MCM**	अब तक एकरारनामा नहीं किया गया है।	
(iv) **M/S Dalmia Power Ltd.** के साथ अजय नदी से 44.50 MCMके वार्षिक जलापूर्ति हेतु एकरारनामा।	एकरारनामा हो चुका है।	

(छ) अन्यान्य :–

- मुख्य अभियंता, देवघर द्वारा अगस्त 2013 तक दिये गये योजनावार व्यय प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया गया।
- निम्नलिखित विन्दुओं से संबंधित प्रतिवेदन बैठक में उपलब्ध नहीं कराये गये है, जिन्हें यथाशीघ्र उपलब्ध कराने के निदेश दिये गये :–

I. Details of vehicles condemed so far with details of money deposited in treasury (vide Letter No-1212, dated-31.08.13) - **Not attached.**

II. Inventory of Computers, Printer, Fax, Xerox machine vide letter no-643, dated-13.05.2013 - **Not attached.**

III. Places of posting of newly appointed JEs - **Not attached.**

IV. Status report of Tranining of newly appointed JEs Conducted at the level of Chief Engineer - **Not attached.**

V. Up-to-date Posting details of JEs whose whereabouts are missing as requested vide letter no-4924, dated-31.08.2013- **Not attached.**

VI. Up-to-dated Posting details & Bio-data of AEs whose whereabouts are missing as requested vide letter no-4750, dated-24.08.2013- **Not attached.**

VII. Status report of regarding compliance of departmental Transfer orders. (vide letter no-4925, dated-31.08.2013) - **Not attached.**

VIII. Status report regarding A.C.R. for the year 2012-13 requested vide letter no-2796, dated-22.05.2013. Names of the officers with whom the A.C.R. is pending - **Not attached.**

- **UCAN** Web-Site पर Upload करने की कार्रवाई चल रहीं है। जाँच कर एक सप्ताह में Report देने का निदेश दिया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

ह०/–
(बी०सी०निगम)
विशेष सचिव
जल संसाधन विभाग

पत्रांक–1/पी०एम०सी०/विविध/517/2012 **राँची/दिनांकः–..............**

प्रतिलिपि – अभियंता प्रमुख–1, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/सम्बन्धित सभी अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता/सम्बन्धित विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी/संयुक्त सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1, राँची/विशेष सचिव के निजी सहायक/प्रधान सचिव के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता (मो०)

पत्रांक–1/पी०एम०सी०/विविध/517/2012 **राँची/दिनांकः–..............**

प्रतिलिपि – मुख्य अभियंता (यॉंत्रिक), जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता (मो०)

पत्रांक–1/पी०एम०सी०/विविध/517/2012 1445 **राँची/दिनांकः–**21/10/13

प्रतिलिपि – वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/X/2013
(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता (मो०)

(परिशिष्ट-I)

जल संसाधन विभाग
झारखण्ड सरकार

श्री एस०के०शतपथी, प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची की अध्यक्षता में दिनांक–27.09.2013 को आहूत मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर प्रक्षेत्राधीन योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक में पदाधिकारीगण की उपस्थिति निम्नवत् हैः–

क्र०	नाम	पदनाम	कार्यालय	हस्ताक्षर
1	श्री एस०के०शतपथी	प्रधान सचिव	जल संसाधन विभाग	
2	श्री बी०सी०निगम	विशेष सचिव	जल संसाधन विभाग	
3	ई० अरूण कुमार सिंह	अभियंता प्रमुख	जल संसाधन विभाग	
4	ई० अशोक कुमार	मुख्य अभियंता (मो०)	जल संसाधन विभाग	
5	ई० कमलेश्वर प्रसाद	मुख्य अभियंता (याँ)	जल संसाधन विभाग	27.IX.13
6	ई० पी० एन० सिंह	अधीक्षण अभियंता	योजना एवं मोनिटरिंग अचंल–I	27.IX.13
7	ई० सुबोध कुमार सिन्हा	संयुक्त सचिव (अभि०)	जल संसाधन विभाग, राँची	27/9/13
8	ई० के० के० अग्रवाल	अधीक्षण अभियंता	सिंचाई यँात्रिक अंचल, राँची	27/9
9	ई० अरविन्द कुमार	मुख्य अभियंता, देवघर	जल संसाधन विभाग,देवघर	
10	श्री विपेन्द्र सिंह चन्देल	अधीक्षण अभियंता	रूपांकण अंचल, देवघर	27.09.13
11	ई० मोती लाल पिंगुआ	अधीक्षण अभियंता	सिंचाई अंचल, जसीडीह	27/9/13
12	ई० नवल किशोर	अधीक्षण अभियंता	सिंचाई अंचल, मधुपुर	
13	ई० नन्द किशोर साहु	अधीक्षण अभियंता	सिंचाई अंचल, जामताड़ा	27/9/13
14	ई० जॉन अनिल माल्टो	अधीक्षण अभियंता	सिंचाई अंचल, दुमका	27/9/13
15	ई० संतोष कुमार	अधीक्षण अभियंता	सिंचाई अंचल, साहेबगंज	27/9
16	ई० माधव सिंह	कार्यपालक अभियंता	योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल सं०–4	27/9
17	ई० राजेन्द्र तिवारी	कार्यपालक अभियंता	योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल सं०–3	
18	श्री सुधीर कुमार दास	विशेष भू–अर्जन पदा	मध्यम सिंचाई परियोजना, दुमका एवं देवघर	27/9/13
19	श्री नरेश भारद्वाज	कार्यपालक अभियंता	सिंचाई प्रमण्डल, सं०1, बरहेट	
20	श्री रमेश चन्द्र	कार्यपालक अभियंता	पुनासी बाँध प्रमण्डल, पुनासी० शिविर, देवघर	
21	श्री सुरेन्द्र प्रसाद	कार्यपालक अभियंता	सिंचाई प्रमण्डल सं०–2, जामताड़ा	
22	श्री अरूण कुमार दास	पुनर्वास पदाधिकारी	मध्यम सिंचाई परियोजना, देवघर	27/9/13
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
24	ई० सत्य देव चौधरी	कार्यपालक अभियंता	सिंचाई यांत्रिक प्रम० देवघर	27/09/13
25	सुबोध कुमार सिन्हा at Sl No – 7 also	संयुक्त सचिव (अभि०)		27/9/13

EE1/1-V-517-2011